षोडश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 25 फाल्गुन, 1938 (श0) / 16 मार्च, 2017 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग	01
कुल योग —	01

पदाधिकारी पर कार्रवाई

14. श्री संजय सरावगी--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 फरवरी, 2017 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "नगर निकायों से आठ वर्षों में 1,159 करोड़ का नहीं मिला हिसाब" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 140 नगर निकायों को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2013-14 तक कुल 1,159 करोड़ राशि आवंटित की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी नगर निकायों द्वारा खंड (1) में वर्णित राशि के संदर्भ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित करना था जो आजतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) में वर्णित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अबतक नहीं उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारी के खिलाफ कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 16 मार्च, 2017 (ई0) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 127-डी0टी0पी0-500